[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21.09.2023	प्र०पत्र 136 LR इ. नं. - 2/2023 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 की तामील असालतन व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की तामील इन्कारी मय दो गवाहान् के हस्ताक्षरों से होकर लौटी है। जो तामील पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1525/भू.अ./23 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रार्थना पत्र पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट पर वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 18.10.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
18.10.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार [illegible] श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश [illegible] बाद तकमील दाखिल [illegible] न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.10.31 12:10:59 IST Reason: SelfAttested 18/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 2023	2023 / 014	05.01.2023	18.10.2023

उनवान प्रकरण

ग्राम पंचायत हांसपुर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत हांसपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—— प्रार्थी——

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. बीरबल पुत्र स्व0 प्रभूदयाल
3. जितेन्द्र पुत्र स्व0 प्रभूदयाल
4. श्योपाली पत्नी स्व0 प्रभूदयाल
5. मोहन पुत्र घासीराम
6. मोहरूराम पुत्र घासीराम
7. सीताराम पुत्र घासीराम
8. भगवानी पत्नी घासीराम

समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी लाला (खनीपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—— अप्रार्थीगण——

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर ... संख्या 1 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:59 IST
Reason: SelfAttested

18/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधि0

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1110/1539 रकबा 0.11 हैक्टर तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसमें पूर्व खसरा नम्बर 231 रहे हैं जिसे नवीन सैटलमेन्ट गलत रूप से मिलान क्षेत्रफल में पुराना खसरा नम्बर 230 दर्ज किया गया हैं। उक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 231 रकबा 15 बिस्वा वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट में गैरमुमकिन आबादी दर्ज रही हैं जिसका पर्चा खतौनी वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट सख्या 2008 से 2027 में दर्ज रही हैं। जिसमें भूमि मौके पर आबादी के रूप में काम आ रही हैं तथा सम्पूर्ण भूमि पर मौके पर आबादी बसी हुयी हैं। आवासीय मकानात बने हुये हैं परन्तु उक्त भूमि की खातेदारी गलत रूप से पुराने भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 6 बिस्वा जिसमें नवीन खसरा नम्बर 1109 रकबा 3 बिस्वा व पुराने खसरा नम्बर 231 रकबा 15 बिस्वा जिसका मिलान क्षेत्रफल में गलत दर्ज खसरा नम्बर पुराना 230 दर्ज करते हुये नवीन भूमि खसरा नम्बर 1110/1539 रकब 0.11 हैक्टर की खातेदारी भी गलत रूप से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 8 के पूर्वज घासीराम में दर्ज करते हुये गलत रूप से आबादी की जगह खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया हैं जो कतई गलत होकर ... दर्ज पुर्व रिकार्ड से विपरित दर्ज किया गया हैं। मौके पर उक्त खसरा नम्बर ... 1539 ... रकबा भी 0.11 हैक्टर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:59 IST
Reason: SelfAttested

18/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अधिक है। उक्त भूमि के मौके पर आबादी बसी हुयी हैं तथा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी मे बसे लोगो को पट्टे जारी करने हेतु अखबार में विज्ञप्ति जारी कर आक्षेप मांगे गये थे परन्तु उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 8 व मृतक प्रभूदयाल के नाम दर्ज होने से पट्टे दिये जाने थे। खातेदारी दर्ज होने से कानूनन पट्टे जारी नही किये जा सकते है इसी कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। इस बाबत् पूर्व में भी प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 26.10.2021 को भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल.आर.एक्ट. प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1110/1539 रकबा 0.11 हैक्टर तन् ग्राम खनीपुरा तहसील श्रीमाधेपुर जिला सीकर (राज0) का वर्तमान में मौके पर सम्पूर्ण रकबा जिस पर आबादी बसी हैं को गै.मु.आबादी दर्ज कर उक्त भूमि का खाता ग्राम पंचायत हांसपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के नाम दर्ज किया जाकर मृतक प्रभूदयाल पुत्र घासीराम व अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 8 का नाम हजफ फरमाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किए जाने का निवेदन प्रार्थी ने अपने द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में किया गया हैं।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नम्बर 1 की सम्मन तामील असालतन एंव अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की तामील इन्कारी से होकर लौटी है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं ... अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:59 IST
Reason: SelfAttested

18/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 525 / भू0अ0 / 2023 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का हांसपुर से प्राप्त मूल रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को भिजवाई गई है। उक्त जॉच रिपोर्ट में पटवारी हल्का हासपुर ने अवगत कराया है कि ग्राम खन्नीपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1110 / 1539 रकबा 0.11 हैक्टर की खातेदारी मोहन वगै0 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जिसका मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक पूराने खसरा नम्बर 231 था। जिसे सेटलमेन्ट के समय पुराना खसरा नम्बर 230 सहवन से दर्ज किया जाना तथा उक्त खसरा नम्बर 1110 / 1539 के पुराने खसरा नम्बर 231 रकबा 15 बिस्वा की किस्म गै0मु0 आबादी प्रथम सेटलमेंट के समय दर्ज थी। भूमि खसरा नम्बर 1110 / 1539 रकबा 0.11 हैक्टर की मौका जॉच करने पर सम्पूर्ण भूमि पर पुख्ता आवासीय मकान बने होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136, 131 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकी[illegible] सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अभिभाष[illegible] किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंति[illegible] चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:59 IST
Reason: SelfAttested

18/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी

2074–2077, 2015–2032, 2019–2022, 2027–2030, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027, नजरी नक्शा ट्रेस, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, रिपोर्ट पटवारी हल्का हासंपुर व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनमें पटवारी हल्का हासंपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम हासंपुर के वर्तमान कृषि भूमि खसरा नम्बर 1110/1539 रकबा 0.11 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थीगण मोहन वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1110/1539 रकबा 0.11 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 231 रकबा 15 बिस्वा से बनना पाया जाकर इसकी किस्म गै0 मु0 आबादी सैटलमेंट के समय दर्ज रिकार्ड होना तथा सैटलमेंट के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1110/1539 रकबा 0.11 हैक्टर को पुराने खसरा नम्बर 231 के स्थान पर खसरा नम्बर 230 सहवन से दर्ज किया जाना प्रतित होता है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1110/1539 रकबा 0.11 हैक्टर पर वर्तमान में सम्पूर्ण भूमि पर पुख्ता आवासीय मकान बने होना पटवारी हल्का हांसपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। खसरा नम्बर 1110/1539 रकबा 0.11 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर ~~931~~ 231 से नहीं बनकर खसरा नम्बर ~~930~~ 230 से बनना पाया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। पटवारी हल्का हासंपुर की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होना प्रकट होता है। अतः इस स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया [illegible] दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

18/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 1110 / 1539 रकबा 0.11 हैक्टर पर वर्तमान में मौके पर सम्पूर्ण रक्बे पर आबादी बसी होने से इसकी किस्म गै0 मु0 आबादी दर्ज कर उक्त भूमि की खातेदारी ग्राम पंचायत हांसपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज किये जाने तथा उक्त भूमि से मृत्तक प्रभूदयाल पुत्र घासीराम व अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8 का नाम हजफ किये जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

18/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:59 IST
Reason: SelfAttested